भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4076
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास

4076. श्रीमती भारती पारधी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु अत्याधुनिक अवसंरचना का सृजन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इस हेतु प्रत्येक राज्य, विशेषकर मध्य प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने "एक जिला, एक उत्पाद" पहल आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त पहल के अंतर्गत किस प्रकार के उत्पादों का चयन किया गया है और व्यक्तियों और समूहों को क्या सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त पहलों के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विशेषकर मध्य प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त पहल के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिलों को शामिल किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): जी हां, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास/वृद्धि को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं यथा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्रीय प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएँ क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि माँग आधारित हैं।

(ख): मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ होने के कारण, पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई के तहत कोई राज्यवार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2021-22 से पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई के तहत वर्षवार कुल आवंटन और उपयोग की गई निधि और वर्ष 2021-22 से पीएमएफएमई योजनाओं के तहत जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधि (केंद्रीय हिस्सा) **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) से (ङ): पीएमएफएमई योजना मुख्य रूप से इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।

ओडीओपी की पहचान राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद की विकारी क्षमता आदि के आधार पर की जाती है। ओडीओपी को 35 राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों के 726 जिलों में अनुमोदित किया गया है। जैसे ही राज्य/ संघ-राज्य क्षेत्र जिलों के लिए ओडीओपी की सिफारिश करते हैं, उन्हें पीएमएफएमई योजना के तहत अनुमोदित किया जाता है। पीएमएफएमई योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सहित राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का विवरण (केंद्रीय हिस्सा) **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(च) एवं (छ): मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ओडीओपी को अनुमोदित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में अनुमोदित ओडीओपी का जिलावार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध – I

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4076 के भाग (ख) एवं (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं में आवंटित निधि और उपयोग की गई निधि का विवरण</u>

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
योजना	**आर.ई.**	**एई**	**आर.ई.**	**एई**	**आर.ई.**	**एई**	**बी.ई.**	**ए.ई. 06.12.2024**
पीएमकेएसवाई	791	713.49	673	561.92	745	666.21	729	280.28
पीएलआईएसएफपीआई	10	9.27	801	489.83	1150	590.5	1444.02	11.72

आरई- संशोधित अनुमान, एई- वास्तविक व्यय, बीई- बजट अनुमान

वर्ष 2021-22 से (दिनांक 28 नवंबर , 2024 तक) पीएमएफएमई योजना के तहत जारी निधि (केंद्रीय हिस्सा) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.92	0.34	0.38	0
2	आंध्र प्रदेश	25.12	18.56	46.25	0
3	अरुणाचल प्रदेश	7.34	0.031	11.09	0
4	असम	15.95	18.12	43.87	29
5	बिहार	13.59	1.61	88.64	100
6	चंडीगढ़	1.06	0.43	0.30	0
7	छत्तीसगढ	8.88	1.43	7.68	5
8	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	0.89	0.14	0	0
9	दिल्ली	0.31	1.14	0.49	1.75
10	गोवा	3.13	1.81	2.08	2.50
11	गुजरात	8.52	1.98	7.01	15
12	हरियाणा	3.98	5.46	11.25	25
13	हिमाचल प्रदेश	7.63	13.74	57.11	0
14	जम्मू और कश्मीर	1.50	2.15	2.68	9.25
15	झारखंड	1.73	0	9.79	10
16	कर्नाटक	21.47	31.06	27.75	60
17	केरल	3.46	3.98	29.52	30

18	लद्दाख	0.93	2.32	0.35	3
19	लक्षद्वीप	0.61	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	9.93	9.97	44.96	37.50
21	महाराष्ट्र	26.60	76.86	120	107.50
22	मणिपुर	9.09	0	0	0
23	मेघालय	3.04	0.38	1	2.50
24	मिजोरम	2.93	0	0	0
25	नागालैंड	5.90	0.40	3.96	0
26	ओडिशा	29.93	2.96	15.45	10
27	पुदुचेरी	0.79	0.68	2.46	1
28	पंजाब	9.35	16.31	30.65	50
29	राजस्थान	13.43	4.79	16.98	0
30	सिक्किम	1.50	1.75	0.90	3.75
31	तमिलनाडु	3.23	24.01	71.99	70
32	तेलंगाना	16.87	2.30	15.40	25
33	त्रिपुरा	10.35	0.15	1.12	3.75
34	उत्तर प्रदेश	24.08	21.06	79.54	100
35	उत्तराखंड	2.25	2.44	8.23	11
36	पश्चिम बंगाल	0	0	6.27	0

*****

अनुबंध - II

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4076 के भाग (च) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

मध्य प्रदेश राज्य में अनुमोदित एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) का जिलावार विवरण

क्र. सं.	ज़िला	ओडीओपी
1	आगर मालवा	संतरा / साइट्रस
2	अलीराजपुर	शरीफा
3	अनूपपुर	टमाटर
4	अशोकनगर	टमाटर
5	बालाघाट	कोदो-कुटकी
6	बड़वानी	अदरक
7	बेतुल	आम
8	भिंड	बाजरा
9	भोपाल	अमरूद
10	बुरहानपुर	केला
11	छतरपुर	पान की बेल
12	छिंदवाड़ा	आलू
13	दमोह	टमाटर
14	दतिया	टमाटर
15	देवास	आलू
16	धार	शरीफा
17	डिंडोरी	कोदो-कुटकी
18	गुना	धनिया
19	ग्वालियर	आलू
20	हरदा	प्याज
21	होशंगाबाद	अमरूद
22	इंदौर	आलू
23	जबलपुर	हरी मटर
24	झाबुआ	टमाटर
25	कटनी	टमाटर
26	खंडवा	प्याज
27	खरगोन	मिर्च
28	मंडला	कोदो-कुटकी
29	मन्दसौर	लहसुन
30	मुरैना	सरसों के उत्पाद
31	नरसिंहपुर	गन्ना उत्पाद
32	नीमच	धनिया
33	निवाड़ी	अदरक

34	पन्ना	आंवला
35	रायसेन	टमाटर
36	राजगढ़	संतरा/ साइट्रस
37	रतलाम	लहसुन
38	रीवा	हल्दी
39	सागर	टमाटर
40	सतना	टमाटर
41	सीहोर	अमरूद
42	सिवनी	शरीफा
43	शाहडोल	हल्दी
44	शाजापुर	प्याज
45	श्योपुर	अमरूद
46	शिवपुरी	टमाटर
47	सीधी	आम
48	सिंगरौली	टमाटर
49	टीकमगढ़	अदरक
50	उज्जैन	प्याज
51	उमरिया	आम
52	विदिशा	प्याज

*****